2932 vide 4706
3/7/13 6/9/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या–10/2013–14

देव नारायण सिंह वगैरह बनाम सोने मोची वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद में (1) देव नारायण सिंह पिता– जगदीश मंडर (2) हरिलाल मंडर पिता– बासुदेव मंडर एवं (3) जोगेन्दर मंडर पिता– रामबहादुर मंडर ग्राम– हाबीडीह टोले डैनीखोन थाना + अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा आवेदकगण है, तथा विपक्षीगण के रूप में (1) सोने मोची पिता– गोविन्द मोची (2) राज कुमार मोची (3) दिलीप मोची दोनों पिता– विद्या मोची (4) फतुरी राम (5) भोला राम दोनों पिता– बुधन मोची (6) कुशेश्वर राम पिता– बिहारी मोची एवं (7) बुधी राम पिता– गुलटेन मोची सभी ग्राम– हाबीडीह टोले डैनी खोन थाना + अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा के निवासी हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में तीनों आवेदकों के पूर्वज/स्वयं द्वारा खरीदगी निम्न ब्योरे की भूमि है :–	

(1) आवेदक सं0– 01 के पूर्वज द्वारा दिनांक 14.05.1943 को केवाला द्वारा हासिल भूमि मौजा– हावीडीह अन्तर्गत

C.S. खाता नं0	C.S. खेसरा नं0	रकवा बी–क0–धु0–कनमा	चौहद्दी
169	8259	00–04–11–05	उ0– परती कदीम बासुदेव मंडर
			द0– बासुदेव मंडर
			पू0– बासुदेव मंडर
			प0– परती कदीम

(2) आवेदका सं0– 02 के पूर्वज द्वारा दिनांक 13.07.1951 को केवाला द्वारा हासिल भूमि मौजा– हावीडीह अन्तर्गत

C.S. खाता नं0	C.S. खेसरा नं0	रकवा बी–क0–धु0–कनमा	चौहद्दी
169	8259	00–07–00–00	उ0– परती कदीम
			द0– बासुदेव मंडर वगैरह
			पू0– बासुदेव मंडर
			प0– परती कदीम

6/9/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

(3) आवेदका सं0– 03 के द्वारा स्वयं के नाम दिनांक 01.09.1997 को खरीदगी भूमि मौजा– हावीडीह, थाना– बहेड़ी अन्तर्गत

C.S. खाता नं0	C.S. खेसरा नं0	रकवा
		बी–क0–धु0–कनमा
169	8259	00–02–18–05 1/2

आवेदक ने दिनांक 02.04.2013 को प्रस्तुत वाद शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रैकिंग मशीन सं0 3356 दि0– 02.04.2013 द्वारा जमा कर दाखिल किया है जिसपर विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि दिनांक 03.04.2013 को की गई तथा विपक्षियों को अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 17.04.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। पक्षकार कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा अपनी ओर से दावा प्रस्तुत किए हैं जिसपर सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।

आवेदकों का कहना है कि C.S. खाता नं0 169 C.S. खेसरा नं0 8259 की कुल रकवा– 02 बिगहा 11 कट्ठा 14 धुर मौजा– हावीडीह के C.S. खतियान में छीतन मंडर के नाम दर्ज था। छीतन मंडर अपने तीन पुत्र– सरयुग मंडर, बासुदेव मंडर एवं सुखदेव मंडर को छोड़कर मरे। छीतन मंडर के मरने के बाद उनके सभी पुत्र खतियानी भूमि पर दखल–कब्जे में चले आये। उक्त भूमि दरभंगा राज के जमाबन्दी अन्तर्गत थी। इसलिए उसका लगान भूतपूर्व जमीन्दार को भुगतान किया जाता था। लेकिन वर्ष 1350 से 1352 फसली साल तक लगान छीतन मंडर के उतराधिकारीयों द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका इसीलिए भूतपूर्व जमीन्दार ने सरयुग मंडर, बासुदेव मंडर एवं सुखदेव मंडर के विरूद्ध Rent Suit realisation of rent amount के लिए मुसिंफ, द्वितीय, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया जिसमें भूतपूर्व जमीन्दार राज दरभंगा के पक्ष में decree हुआ । तदुपरान्त राज दरभंगा के द्वारा उक्त Property के निमित M. Execution वाद सं0– 1234/1940 दाखिल किया गया एवं delivery of possession के लिए भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा मिशलेनियस वाद सं0– 2052/1942 मुंसिफ, द्वितीय, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया गया। इसी क्रम में recorded tenant बासुदेव मंडर ने उक्त खेसरे की भूमि में से 04 कट्ठा 11 धुर 05 कनमा भूमि दिनांक 14.05.1943 को जगदीश मंडर के नाम बयनामा कर उसपर दखल कब्जा दे दिया।

आवेदकों का यह भी कहना है कि जगदीश मंडर एवं recorded tenant के पुत्रों ने भूतपूर्व जमीन्दार राज दरभंगा के पक्ष में

28/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	पारित आदेश decree और auction Sale को Setting aside करने वास्ते विद्वान मुंसिफ दरभंगा के न्यायालय में Misc.case No.- 654/43 दायर किया जिसमें दोनों पक्षों के बीच Compromise के आधार पर आदेश पारित हुआ तथा भुतपूर्व जमीन्दार ने उक्त भूमि के decreetal amount को प्राप्त कर उसपर जगदीश मंडर एवं recorded tenant को possession दे दिया तथा पत्रांक– 2/373 दिनांक 13.06.1945 को दरभंगा राज के अधीन अंचल बेनीपुर को पत्र निर्गत कर दिया और सभी chapter closed हो गया तथा सारी सम्पति C.S. खेसरा नं0 8259 की मिशलेनियस वाद संख्या – 654/1943 के आवेदकों के Possession में आ गई। उसपर जगदीश मंडर एवं खतियानी रैयत के पुत्रों का दखल कब्जा रहता चला आया। तदुपरान्त जमीन्दारी बिहार सरकार में निहित हो गई। जमीन्दार के द्वारा जगदीश मंडर एवं recorded tenant के उतराधिकारी के पक्ष में बिहार सरकार को return दाखिल किया गया जिसके आधार पर बिहार सरकार में भी जगदीश मंडर एवं recorded tenant के उतराधिकारी के नाम जमाबन्दी नं0– 193 कायम हुआ। आवेदकों का दावा है कि आवेदक सं0– 1 जगदीश मंडर के पुत्र हैं जिन्होनें बासुदेव मंडर से दिनांक 14.05.1943 को प्रश्नगत क्रम सं0– 1 वाली भूमि बयनामा द्वारा हासिल किया है तथा आवेदक सं0 2 बासुदेव मंडर के पुत्र है जिन्होंने प्रश्नगत क्रम सं0 2 की भूमि सरयुग मंडर वगैरह वल्दान छीतन मंडर से दिनांक– 13.07.1951 को बयनामा द्वारा हासिल किया है और आवेदक सं0 3 रामलखन मंडर एवं बह्मा प्रसाद मंडर से प्रश्नगत क्रम सं0 3 की भूमि दिनांक 01.09.1997 को बयनामा द्वारा हासिल किया है जिसे बिक्रेता ने दिनांक 22.11.1933 को recorded tenant के पुत्र सरयुग मंडर वगैरह से केवाला कराया था। आवेदकों का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि पर बिहार भू–दान यज्ञ कमिटि के कागजात के आधार पर पलट मोची, बुधन मोची, सोने मोची एवं बिहारी मोची दावा करते हैं कि उक्त की जमाबन्दी इनके पूर्वज गोविन्द मोची के नाम 132 चलती है। इनका कहना है कि भू–दान यज्ञ कमिटी द्वारा विपक्षीयों के पूर्वज के नाम निर्गत प्रमाण पत्र फर्जी है, चुँकि उक्त के आधार पर विपक्षीयों के पूर्वज या विपक्षीयों को कभी कब्जा नहीं रहा। विपक्षीयों के कागजात की जानकारी पहली बार आवेदकों को अंचलाधिकारी बहेड़ी के नोटिस दिनांक 07.02.2013 से हुई, तब इस वाद की आवश्यकता पड़ी। आवेदकों का यह भी कहना है कि हाल सर्वे पदाधिकारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों को दखल कब्जा पाते हुए खतियान में नाम दर्ज किया गया है तथा विपक्षीगण इनलोगों के दखल कब्जा में हस्तक्षेप करने की धमकी जाली कागजातों के आधार पर देते रहते है और दिनांक 03.03.2013 को विपक्षीगण इनलोगों के शान्तिपूर्ण दखल कब्जे में अंतिम बार attempt किए है।	

28/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आवेदकों ने अनुरोध किया है कि विपक्षीयों को प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों के शान्तिपूर्ण दखल कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक लगाया जाय तथा प्रश्नगत भूमि के निमित बिहार भू–दान यज्ञ कमिटी द्वारा विपक्षियों के पूर्वज के नाम निर्गत प्रमाण पत्र की बाध्यता आवेदकों के उपर नहीं है यह भी आदेशित किया जाय, तथा यह भी आदेशित किया जाय कि आवेदकों को प्रश्नगत भूमि पर कानूनी अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त हैं जो रैयत है। आवेदकों की ओर से खतियानी रैयत हरिलाल मंडल वो बच्चू मंडर पिता वासदेव मंडर से संबंधित खतियान की छायाप्रति, मिस0 मो0 654/43 जगदीश मंडर बनाम महाराज दरभंगा के आदेश एवं सुलहनामा की छायाप्रति, मुकदमा नं0 2052/1942 राज दरभंगा बनाम सरयुग मंडर, बासुदेव मंडर, एवं सुखदेव मंडर पेसरान– छीतन मंडर में पारित आदेश की छायाप्रति, तीन दास्तावेज दिनांक 14.05.1943, 13.07.1951 वो 01.09.1997 की छायाप्रति एवं वर्ष 1964–65 का राजस्व रसीद अन्दर जमाबन्दी सं0– 193 की छायाप्रति को दाखिल किया गया है। विपक्षीयों की ओर से विपक्षी सं0– 04 एवं 05 के द्वारा rejoinder दाखिल किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि गोविन्द चमार विपक्षी सं0– 01 से 05 तक के पूर्वज थे तथा विपक्षी सं0– 06 एवं 07 को इस वाद की विषयवस्तु से कोई सरोकार नहीं है और विपक्षी सं0– 01, 02 एवं 03 के मौखिक सहमति के आधार पर यह Rejoinder दाखिल किया जा रहा है। विपक्षीयों का कहना है कि आवेदकों को यह वाद दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों का कब्जा नाजायज है। चुँकि प्रश्नगत भूमि विपक्षी सं0 01 से 05 तक के पूर्वज गोविन्द चमार के नाम से है। खाता नं0 01 खेसरा नं0 8259 की 01 बिगहा 07 कट्ठा 19 धुर भूमि वर्ष 1956 में भू–दान यज्ञ कमिटी द्वारा भूदानी पर्चा सं0 27004 से गोविन्द चमार पुत्र राधो चमार सा0– डैनी खोन के नाम निर्गत हुआ एवं उक्त पर्चा के आधार पर वर्ष 1986–87 में पर्चाधारी के पुत्र पलट मोची, बुधन मोची, सोने मोची वो बिहारी मोची के नाम से 18 कट्ठा 02 धुर एवं 11 कनवा के निमित राजस्व रसीद निर्गत किया गया है जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि पर इनलोगों को स्वत्वाधिकार प्राप्त है, और प्रश्नगत भूमि को बिक्री करने का कोई अधिकार आवेदकों के विक्रेता को नहीं है तथा इनलोगों का पर्चा unchallenged है। विपक्षीयों ने इस वाद के माध्यम से एवं Process of Court के माध्यम से भू–दान द्वारा प्राप्त भूमि पर दखल कब्जा विपक्षीयों को दिलाने तथा आवेदकों के वाद को dismiss करने के अनुरोध के साथ दावे के समर्थन में गोविन्द चमार के नाम प्रमाण पत्र सं0 27901 की सच्ची प्रतिलिपि वर्ष 1986–87 का राजस्व रसीद अन्दर जमाबन्दी सं0– 132, महाराजा ऑफिस राज दरभंगा से निर्गत नकल हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन बहेडी के प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति दाखिल किया	

12/09/13